



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092025-266061  
CG-DL-E-10092025-266061

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3987]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947

No. 3987]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

का.आ. 4102(अ).— जबकि, भारत सरकार ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर (सीआईपी) की स्थापना हेतु 28 जुलाई, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

और जबकि, उक्त समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 11 में अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर, उसके प्रतिनिधियों और अधिकारियों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का प्रावधान है;

और जबकि, केन्द्र सरकार उक्त समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 11 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर, उसके प्रतिनिधियों और अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के तहत प्रदत्त आवश्यक विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान करना समीचीन समझती है;

अतः, अब, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद I की धारा 1, अनुच्छेद II के अंतर्गत प्रावधान, अनुच्छेद III की धारा 9, अनुच्छेद V की धारा 18

और 20 तथा अनुच्छेद VI की धारा 22 और 23, यथोचित परिवर्तनों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर (सीआईपी), उसके प्रतिनिधियों और अधिकारियों पर लागू होंगे।

[फा. सं. डी-II/451/16(2)/2025]

अंशुमान गौड़, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2025

**S.O. 4102(E).**—Whereas, the Government of India signed the Memorandum of Agreement with the International Potato Center on 28<sup>th</sup> July, 2025 for establishing the International Potato Center (CIP) in India;

And whereas, Article 11 of the said Memorandum of Agreement provides for privileges and immunities of the International Potato Center, its representatives and officials;

And whereas, the Central Government considers it expedient to extend the necessary privileges and immunities provided under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947) to the International Potato Center, its representatives and officials in accordance with Article 11 of the said Memorandum of Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions of section 1 of Article I, provisions under Article II, section 9 of Article III, sections 18 and 20 of Article V and sections 22 and 23 of Article VI of the Schedule to the said Act shall apply, *mutatis mutandis*, to the International Potato Center (CIP), its representatives and officials.

[F. No. D-II/451/16(2)/2025]

ANSHUMAN GAUR, Jt.Secy.